ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176209 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेनू पठानिया	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री संजीवन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री भुवनेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत गगल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.27
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.79
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.41
4	7.2	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.64
5	7.4	कार पार्किंग से किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.92
6	7.5	समुदायिक भवनों से किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.41
7	8	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाना	0.03
8	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	2.09
9	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.85
10	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	1.09
11	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	2.63

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/206 दिनांक—29.03.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 4

पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 32 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 32 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5	अनिर्णीत	–
2.	5.1,5.2,5.3	अनिर्णीत	–
3.	09	अनिर्णीत	–
4.	10	अनिर्णीत	–
5.	11	अनिर्णीत	–
6.	12	अनिर्णीत	–
7	13	अनिर्णीत	–
8	14	अनिर्णीत	–
9	15	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 85 पुष्टि उपरान्त
2.	5.1,5.2	अनिर्णीत	–
3.	6	अनिर्णीत	
4.	7	अनिर्णीत	–
5.	8	अनिर्णीत	

6	10	अनिर्णीत	
7	11	अनिर्णीत	
8	12	अनिर्णीत	
9	13	अनिर्णीत	
10	14	अनिर्णीत	
11	15	अनिर्णीत	
12	16	अनिर्णीत	
13	17	अनिर्णीत	
14	18	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 85 पुष्टि उपरान्त
2.	4(क,ख)	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3.	4.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति व बैंक के अंतशेषो में शून्य अंतर के दृष्टिगत
4.	4.2	अनिर्णीत	—
5.	5	निर्णीत	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित संलग्न अभिलेख के दृष्टिगत
6	6 क	अनिर्णीत	—
7	7 क,ख,ग	अनिर्णीत	—
8	8	अनिर्णीत	—
9	9	अनिर्णीत	—
10	10	अनिर्णीत	—
11	11	अनिर्णीत	—
12	12	अनिर्णीत	—

13	13	अनिर्णीत	—
14	14	अनिर्णीत	—
15	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. **वर्तमान अंकेक्षणः—**

ग्राम पंचायत गगल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.05.2025 से 13.05.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	03/2025	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3200/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/311 दिनांक—13.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक गगल के मल्टीसिटी चैक संख्या 464925 दिनांक 13.05.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 **(क).वित्तीय स्थितिः—**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/294 दिनांकः—05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	278522	283045.00	561567.00	279485.00	282082.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1998906	2300492.00	4299398.00	2520089.00	1779309.00

कुल योग (1+2)282082.00+1779309.00 =**2061391**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹20,61,391 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तागत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹20,88,350 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक गगल	20058079474	281609
2	5वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक गगल	20058005821	130221
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक गगल	50078088698	26521
4	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक गगल	50078088701	53918
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक गगल	50051472483	11368
6	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	केनरा•बैंक गगल	5071101001718	1580013

7	आर.जी.एस.ए	इंण्डसइंड बैंक धर्मशाला	100203845290	4227
8	हस्तगत शेष दिनांक 31.03.2025 को, स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार			473
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः–				₹2088350
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹2061391
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः–				₹2088350
अन्तरः–				26959

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में परस्पर राशि ₹0.27 लाख का अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत गगल द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹26959/- का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/296 दिनांकः–06.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:—

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल स0, मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	आ.जी. एस.ए	02–07/03.05.2024,28.05.24	081,946,947,420,2542,2544/02.04.2024,30.04.24,01.05.24,23.05.24/मस्ट्रोल 5042,	निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर वार्ड 5	183148
2	वी.के.वी. एन.वाई	पी/1,2/29.05.2024	89,20/30.09.2023,02.07.2023	निर्माण रास्ता इंटरलॉकिंग टाईल्स के साथ काकू की दुकान मेन रोड से स्टेप वेल वार्ड 3	28810
3	मनरेगा	निल/14.05.2024	073,765/15.11.2023,11.10.2023	निर्माण बावडी सौंदर्यकरण वार्ड 4	33901
4	मनरेगा	निल/14.05.2024	071,75,766/12.08.23,15.11.23,11.10.23	निर्माण सौंदर्यकरण जल स्त्रोत व जल स्त्रोत का रास्ता बनाना वार्ड 5	45680

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/314 दिनांक:—13.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—03 दिनांक:—13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अवधि 2024—25 की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए, भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि हस्तगत का रखना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/— तक की राशि ही इम्प्रैस्ट रूप में रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत रखा गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।

अतः इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रो• ब• पृ•	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	03	21.05.2024	5487
2.	04	31.05.2024	5887
3.	06	20.06.2024	4087
4.	12	10.09.2024	5515
5.	12	30.09.2024	5515
6.	14	27.10.2024	6115
7.	16	16.11.2024	4295
8.	19	31.12.2024	2372
9.	26	10.03.2025	4227

5 निवेश न करने बारे:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि बैंक खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹2,78,023 से ₹2,81,609. तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/314 दिनांकः 13.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–03 दिनांक 13.05.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹17.79 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹17,79,309/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	**अनुदान का नाम**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	130221.00
2	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2025	26521.00
3	एस.डी.पी	31.03.2025	26959.00
4	एम.पी.लेड	31.03.2025	11368.00
5	आर.जी.एस.ए	31.03.2025	4227
6	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2025	1580013.00
		कुल जोड	**1779309.00**

उपरोक्त तथ्य एवं आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/297 दिनांक–06.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः 03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व की ₹6.38 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना

7.1 सम्पति कर/गृहकर ₹0.41/– लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹40700/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/298 दिनांकः–06.05.2025 द्वारा सूचित किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से सम्बन्धित मांग व सग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दुकानों के किराये से आयः–

7.2 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹1.64 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी व हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को देय व प्राप्त राजस्व का ब्यौरा पंचायत के निधि लेखों मे शुद्ध तथा तत्परता व नियमित रूप से निर्धारित वसूली करना तथा जमा किये/निकाले गए और अपने अधीन सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, का लेखा जोखा प्रारूप 10 में मांग व संग्रहण रजिस्टर में तैयार किया जाएगा।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक दुकानों के किराये की राशि ₹164325/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था। जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2025 को दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/299 दिनांकः–06.05.2025 द्वारा सूचित

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–03 दिनांक:–13.05.2025 द्वारा आंकडों व तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि, इस बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से सम्बन्धित मास बार मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर उपरोक्त नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाया जायें तथा मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करके तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.3 उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना पंचायत परिसर को किराये पर देने से संभावित राजस्व हानि बारे:–

निदेशक एवं विशेष सचिव पचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एचसी (7)10/80 दिनांक 17.09.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरो को किराये पर देने के लिये निम्न कमेटी गठित की जाएगी:–

1.उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)

2.खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)

3.प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)

4.पंचायत निरीक्षक (सदस्य)

5.पंचायत सचिव/पंचायत सहायक (सदस्य–सचिव)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी जिसमें ग्राम पंचायत निम्न शर्ते निर्धारित करेगी:–

1.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम न हों।

2.किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप हों।

3.यदि किरायेदार किराया नहीं देता है, या परिसर को नुकसान पहुँचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाए।

4.किरायेदार को परिसर को आगे किसी व्यक्ति को किराये पर देने का अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।

5.किरायेदार परिसर में किसी प्रकार निर्माण/परिवर्तन/अतिक्रमण नहीं करेगा।

6.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व में पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर खुली बोली से दिया जाएगा।

7.व्यावसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली के बिलो की अदायगी किरायेदार द्वारा की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने सम्बन्धी जारी उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी। फलस्वरूप पंचायत परिसरों/भवनों को किराये पर देने में पक्षपात एवं नियमानुसार व्यापक प्रचार, प्रसार के अभाव में पंचायत हितों की अनदेखी आदि की सम्भावनाओं से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में, पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 03 दिनाँक 13.05.2025 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि ग्राम पंचायत के सभा क्षेत्र में 9 दुकानें ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में कमेटी का निर्माण नहीं किया गया व दुकानों को किराये पर देते समय किसी भी दुकानदार/किरायेदार के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/299 दिनांकः 06.05.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 03 दिनाँक 13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, इस सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यों एवं आंकड़ों से रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–समय पर जारी आदेशो–निर्देशों अनुसार अपेक्षित सुधारात्मक कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ उपरोक्त निर्देशों व नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये एवं कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.4 कार पार्किग के किराये से राशि ₹2.92/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के उपनियम (3)(ii) के अनुसार पंचायत की गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, साफ–सफाई, स्वच्छाता ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, **वाहनों की पार्किंग** के लिये प्रस्ताव के तहत सभा क्षेत्र में सेवा शुल्क उदगृहित करने का अधिकार है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक एक कार पार्किंग (9 शैड) से किराये की राशि ₹291500/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा कार पार्किंग किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का माहवार अनुरक्षण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2025 को किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस एवं पारदर्शी कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमॉक 03 दिनॉंक 13.05.2025 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि ग्राम पंचायत के सभा क्षेत्र में एक कार पार्किंग है जिसके 9 शैड है, ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में कमेटी का निर्माण नहीं किया गया व इसे किराये पर देते समय जिन व्यक्तियों को दी गई है, उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/300 दिनांकः–06.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि ,कार पार्किंग की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व उक्त से सम्बन्धित मासवार मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार कर लिया जाएगा व कमेटी का गठन न करने तथा अनुबंध हस्ताक्षरित न करने से सम्बन्धित अनियमितता बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर पूर्वोक्त निर्देशों नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाया जायें तथा मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करके तदानुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.5 सामुदायिक भवनों के किराये के रूप में राशि ₹1.41/– लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांकः–05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक दो सामुदायिक भवनों के किराये के रूप में ₹141000/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त से सम्बन्धित किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का माहवार अनुरक्षण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2025 को सामुदायिक भवन किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस एवं पारदर्शी कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने मुख्य राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। इसके अतिरिक्त निदेशक एवं विशेष सचिव पचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एचसी (7)10/80 दिनांक 17.09.2008 के निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/305 दिनांकः–07.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि इस बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व उक्त से सम्बन्धित मासिक आधार पर मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार कर लिया जाएगा व उपरोक्त आदेश– निर्देशों अनुसार भविष्य में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त निर्देशों नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली करने हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाया जायें तथा इसके मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करके व उपरोक्त जारी आदेशों अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करके व तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.03/—लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः—04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/294 दिनांकः—05.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत गगल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹3200/— विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु इसमें से राशि ₹2800 को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय की दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/301 दिनांकः—07.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गगल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—03 दिनांकः—13.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि प्राप्त राशि में से ₹2800 को बैंक में जमा नहीं करवाया गया। इस राशि को सम्बन्धित व्यक्ति/कर्मचारी से वसूली करने उपरान्त व राशि ₹400 सहित सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरान्त सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.09 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत गगल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "10"** के अनुसार ₹209396/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/312 दिनांकः—13.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—03 दिनांकः—13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.85 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गगल के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—"10"** पर संकलित राशि ₹185353/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/313 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी एवं उचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹1.10/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "9"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹109357.50 का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

दोहराई गई इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/303 दिनांकः–07.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर दोहराई गई अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹2.63/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹2,62,729/–** का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	**वाउचर सं/ दिनांक**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**	**वांछित अभिलेख**
1आ.जी. एस.ए	02–07/03.05. 2024,28.05.24	081,946,947,420,2542, 2544/02.04.2024,30. 04.24,01.05.24,23.05. 24/मस्ट्रोल 5042	निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर वार्ड 5	183148	माप–पुस्तिका, प्रारूप 34
2.मनरेगा	शून्य/14.05.2024	073,765/15.11. 2023,11.10.2023	निर्माण बावडी सौंदर्यकरण वार्ड 4	33901	माप–पुस्तिका

3.मनरेगा	शून्य / 14.05.2024	071,75,766 / 12.08.23,15.11.23,11.10.23	निर्माण सौंदर्यकरण जल स्त्रोत व जल स्त्रोत का रास्ता बनाना वार्ड 5	45680	माप–पुस्तिका
			कुल योग	**262729**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत गगल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 304 दिनांकः–07.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांक 13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि की माप–पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका पूर्ण औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.13 / – लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे तौर पर खर्च करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गगल के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः–स्त्रोतों से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर कार्यालय व्यय, स्टेशनरी, इंटरनेट बिल, बिजली बिल, प्रिंटर रिफलिंग व पंचायत चौकीदार मानदेय इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था, फलस्वरूप पंचायत द्वारा स्वः–स्त्रोतों की आय के अस्थायी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल अनियमित ही नहीं, बल्कि आपतिजनक भी है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 306 दिनांकः 07.05.2025 के अंर्तगत सचिव ग्राम पंचायत गगल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 03 दिनांक 13.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरारंत स्पष्ट किया गया कि, उपरोक्त राशि को बैंक में जमा न

करवाकर सीधे तौर पर खर्च किया गया। भविष्य में इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व इस अनियमितता की पुनरावृति नहीं की जाएगी। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर व इस कार्य प्रणाली को बंद करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः—

वितीय वर्ष	प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	विवरण
2024—25	13034	निल	13034	दुकान किराया, भू—राजस्व, पार्किंग किराया, सामुदायिक भवन किराया, विवाह पंजीकरण शुल्क

व्यय का विवरणः—

क्र0सं0	वाउचर सं0 / दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	क्रय की गई सामग्री	व्यय राशि (₹)
1	03 / 24.04.2024	02	अदायगी स्टेशनरी	840
2	05 / 24.04.2024	02	इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड बिल	721
3	09 / 21.05.2024	03	इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड बिल	721
4	13 / 24.06.2024	06	अदायगी बिजली बिल	2851
5	36 / 16.11.2024	16	अदायगी स्टेशनरी	620
6	37 / 16.11.2024	16	प्रिंटर रिफलिंग	1200
7.	39 / 30.11.2024	16	अदायगी स्टेशनरी	1000
8	43 / 08.01.2025	21	इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड बिल	1327
9	56 / 11.03.2025	26	इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड बिल	664
10	57 / 11.03.2025	26	प0 चौकीदार मानदेय	600
11	60 / 24.03.2025	27	अदायगी बिजली बिल	1790
12	59 / 25.03.2025	27	महिला ग्राम सभा	700
			कुल योग	**13034**

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "9 व 10"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:–

1.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

2.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

3.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/314 दिनांक:– 13.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गगल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–03 दिनांक:–13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्यों के प्ररूप 34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांकः 05.05.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी। फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
12	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/294 दिनांक:–05.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–03 दिनांक:–13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

15.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण सम्भव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2024–25 के मास 05/2024 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत गगल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत गगल के चयनित मास 05/2024 के विभिन्न अनुदानों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/314 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त भुगतान किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

4060 – 4064 30 JUN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)85/2017—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

FINANCIAL POSITION OF GP GAGGAL BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176209 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	278522	283045.00	561567.00	279485.00	282082.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1998906	2300492.00	4299398.00	2520089.00	1779309.00

Note :- It is certified that the Opening Balance of Sabha NIshi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत गगल

वि ख धर्मशाला कांगड़ा हि "

28

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GAGGAL FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5THSFC	2024-25	310082	305097	615179	484958	130221.00
2	VKVNY	2024-25	42981	26521	69502.00	42981.00	26521.00
3	SDP	2024-25	19324	114512	133836.00	106877.00	26959.00
4	MP LADS	2024-25	24626	747	25373.00	14005.00	11368.00
5	RGSA	2024-25	224705	39280	263985	259758	4227
6	15TH FC	2024-25	1377188.00	1016731	2393919.00	813906	1580013.00
10	MNREGA	2024-25	0	797604.00	797604.00	797604	0.00
Total:-			1998906.00	2300492.00	4299398.00	2520089.00	1779309.00

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

ग्राम पंचायत गग्गल
वि ख धर्मशाला कांगड़ा हि.प्र

29

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत गगल विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत गगल के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक गगल	20058079474	278023	281609
02	पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक गगल	20058005821	372387	130221
03	वी.के.वी.एन.वाई	के. सी .सी. बैंक गगल	50078088698	0	26521
04	एस.डी.पी	के. सी .सी. बैंक गगल	50078088701	0	53918
05	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक गगल	50051472483	24626	11368
06	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	केनरा बैंक गगल	5071101001718	1377188	1580013
07	आर. जी स.ए	इंडसएन बैंक धर्मशाला	100203845290	224705	4227
08	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			499	473
			कुल योग	**2277428**	**2088350**

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत गगल

वि.ख. धर्मशाला कांगड़ा हि.प्र

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत गगल विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम गगल में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 487 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	16350	487	50	24350	40700	0	40700

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गगल
विकास खण्ड धर्मशाला

परिशिष्ट -05 (पैरा संख्या ''7.2'')

कार्यालय ग्राम पंचायत **गगल, विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209**

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत गगल में वसूली हेतू शेष दुकानों का किराया :-

क स	वितीय वर्ष	दुकानदार का नाम	पिछला बकाया	मासिक किराया	कुल मांग	योग	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	2024-25	श्री प्यार सिंह	1800	150	1800	3600	3300	300
2	2024-25	श्री जगजीत सिंह	19000	125	1500	20500	2000	18500
3	2024-25	श्रीमति किरण बाला	22800	150	1800	24600	0	24600
4	2024-25	श्री पुष्प कुमार	13650	150	1800	15450	0	15450
5	2024-25	श्री विश्व बिंदु	3625	125	1500	5125	2000	3125
6	2024-25	श्री संतोष सेठी	34800	150	1800	36600	0	36600
7	2024-25	श्री सन्नी साहनी	45600	475+475=950	11400	57000	0	57000
8	2024-25	श्री रामनाथ चड्ढा	1250	125	1500	2750	0	2750
9	2024-25	श्री अरुण डोगरा	6000	500	6000	12000	6000	6000
		Total	148525		29100	177625	13300	164325

प्रधान
सचिव
ग्राम पचायत गगल
वि ख धर्मशाला कागडा हि.प्र.

32

परिशिष्ट –06 (पैरा संख्या-74)

कार्यालय ग्राम पंचायत गगल, विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत गगल में एक (1) कार पार्किंग (9 शेड) का वसूली हेतू किराया :-

कार पार्किंग :-

क्र स०	वितीय वर्ष	नाम	पिछला बकाया	मासिक किराया	कुल मांग	योग	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	2024-25	श्री शगुन वालिया सुपुत्र श्री रमणीक सिंह	13000	500	6000	19000	0	19000
2	2024-25	श्री विशाल सुपुत्र श्री नेत्र कुमार	24000	500	6000	30000	0	30000
3	2024-25	श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री चुनी लाल	42500	500	6000	48500	0	48500
4	2024-25	श्री अजय कुमार श्री रमेश चन्द	44000	500	6000	50000	0	50000
5	2024-25	श्री नितिन सूद	46000	500	6000	52000	0	52000
6	2024-25	श्री सुरजन साहनी सुपुत्र संजय साहनी	28500	500	6000	34500	0	34500
7	2024-25	श्री गगनदीप सुपुत्र श्री वीर सिंह	5000	500	6000	11000	5000	6000
8	2024-25	श्री भुवनेश चड्डा श्री रामनाथ चड्डा	20000	500	6000	26000	5000	21000
9	2024-25	श्री नवीन कुमार सुपुत्र श्री जिया लाल	24500	500	6000	30500	0	30500
		Total	247500		54000	301500	10000	291500

33

परिशिष्ट -07 (पैरा संख्या 75)

कार्यालय ग्राम पंचायत **गगल, विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176209**

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत गगल में 2 सामुदायिक भवनों का वसूली हेतू किराया :-

सामुदायिक भवन :-

क्र स	वितीय वर्ष	नाम	पिछला बकाया	मासिक किराया	कुल मांग	योग	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	2024-25	श्री सन्नी साहनी	0	1700	20400	20400	3400	17000
2	2024-25	गौरव कुमार	100000	2000	24000	124000	0	124000
Total							3400	141000

ग्राम पंचायत गगल
वि ख धर्मशाला, कांगड़ा हि.प्र.

34

परिशिष्ट "8 "(पैरा संख्या-8)

ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड धर्मशाला, प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
1	श्री गौरव चड्डा सुपुत्र श्री अशोक कुमार	18/02/2024	04-02-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166951 Date- 02-04-2024
2	श्री रजनीश कुमार सुपुत्र श्री रविंदर कुमार	02-06-2024	04-12-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166952 Date-12-04-2024
3	श्री निखिल कुमार सुपुत्र श्री वेद प्रकाश	03-12-2024	22/4/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166953 Date-22-04-2024
4	श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री बल्ला सिंह	03-12-2024	23/04/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166954 Date-23-04-2024
5	श्री अक्षय कुमार सुपुत्र श्री देवेंदर सिंह	18/4/2024	24/05/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166955 Date-24-05-2024
6	श्री भारता कोहली सुपुत्र श्री तविंदर कुमार	13/09/2024	17/09/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 166965 Date-17-09-2024
7	श्री आकाश सुपुत्र श्री राज कुमार	10-06-2024	25/10/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 166967 Date-25-10-2024
8	श्री अमन कुमार सुपुत्र श्री नरेश कुमार	18/10/2024	01-06-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 166968 Date-09-01-2025
9	श्री अर्चित ठाकुर सुपुत्र श्री कुलदीप सिंह	24/01/2025	13/02/2025	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 166976 Date-14-02-2025
10	श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री जगदेव सिंह	18/02/2025	03-08-2025	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 166979 Date- 10-03-2025
	Total			₹ 3,200.00	₹ 3,200.00	₹ 0.00	

नोट:- क्रम संख्या 6 व 10 की शुल्क राशि को बैंक में जमा करवा दिया गया है।

प्रधान सचिव

35

परिशिष्ट–9 पैरा संख्या–"9.3"

कार्यालय ग्राम पंचायत गगल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176209 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री								
क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	MNREGA	NIL/14/5/2024	Sandeep Sharma Govt.Contractor Purana Matour	613/12/9/2022	BAZRI CRASHER	360	34.75	12510.00
2	MNREGA	NIL/14/5/2024	Sandeep Sharma Govt.Contractor Purana Matour	612/12/9/2022	Sand CRASHER	300	45.75	13725.00
3	MNREGA	NIL/14/5/2024	M.K. CHOUDHARY Barwala	075/15/11/2023	SAND	200	47.50	9500.00
4	MNREGA	NIL/14/5/2024	M.K. CHOUDHARY Barwala	073/15/11/2023	SAND	150	47.50	7125.00
5	MNREGA	NIL/14/5/2024	Sandeep Sharma Govt.Contractor Purana Matour	602/25.06.2022	Sand CRASHER	500	45.75	22875.00
6	MNREGA	NIL/14/5/2024	Sandeep Sharma Govt.Contractor Purana Matour	603/25.06.2022	BAZRI CRASHER	550	34.75	19112.50
7	VKVNY	02/29.05.2024	M.K. CHOUDHARY BARWALA GHIANA	20/12.07.2023	SAND	260	47.50	12350.00
					BAZRI	95	38.00	3610.00
8	RGSA	02/03.05.2025	M.K. CHOUDHARY BARWALA	081/02.04.2024	SAND	180	47.50	8550.00
							कुल योग	109357.50

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

प्रधान
ग्राम पंचायत गगल
वि.ख. धर्मशाला कांगडा हि.प्र.

Neel
(NEELAM KUMARI)
G.R.S.

परिशिष्ट–10 पैरा संख्या "9.1 व 9.2"

ग्राम पंचायत गगल विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	12/29.05.2024	Laptop SSD Install,Window installationPrinter repair, Rim etc.(INC. GST 18%)	195/11.05.2024	M/s Sai Ram Infosys Sanouran Gaggal			4720	Quatations ,Stock Entry
2.VKVNY	1/29.05.2024	Wall painting Board Writing(3X2)	89/30.09.2023	M/s Kamal Art Baidi Bandi			500	Quatations
3.VKVNY	2/29.05.2024	Sand (cft) Bazri(cft)	20/12.07.2023	M/s M.K Choudhry Barwala Ghiana	260 95	47.50 38.00	12350.00 3610.00	Quatations ,Stock Entry
4.RGSA	2/03.05.2024	Sand (cft)	081/02.04.2024	do as	180	47.50	8550.00	Quatations ,Stock Entry
5.RGSA	3/03.05.2024	Iron Pipe work for Railing (kg)	946/30.04.2024	M/s Maa Jwala Traders Zamanabad	87	125.00	10875.00	Quatations
6.RGSA	4/03.05.2024	Fabrication work GI Sheet with section (sq2f)	947/30.04.2024	M/s Maa Jwala Traders Zamanabad	200	160.00	32000.00	Quatations
7.RGSA	07/28.05.2024	Electricity Material (INC. GST 18%)	2542/24.05.2024	M/s Maa Brijeshwari Power Products Icchi			4563.00	One Quatations Shown,Stock Entry
8.RGSA	07/28.05.2024	Electricity Material (INC. GST 18%)	2544/24.05.2024	M/s Maa Brijeshwari Power Products Icchi			15367.00	One Quatations Shown,Stock Entry
9.NREGA	NIL/14.05.2024	Sand Crasher (cft)	602/25.06.2022	M/s Sandeep Sharma Purana Matour Nandher	500	45.75	22875.00	Stock Entry
10.NREGA	NIL/14.05.2024	Bazri Crasher (cft)	603/25.06.2022	do as	550	34.75	19112.50	Stock Entry
11.NREGA	NIL/14.05.2024	Fiber &Cement Board P&Writing(3X2)	84/26.01.2024	M/s Kamal Art Baidi Bandi			2495	Quatations ,Stock Entry
12.NREGA	NIL/14.05.2024	Fiber &Cement Board P&Writing(3X2)	87/28.01.2024	M/s Kamal Art Baidi Bandi			2495	Quatations ,Stock Entry
13.NREGA	NIL/14.05.2024	Cement Carriage to work site by Motor	087/12.01.2024	M/s M.K Choudhry Barwala Ghiana	103	35	3605	Quatations
14.NREGA	NIL/08.05.2024	Bazri Crasher (cft)	612/12.09.2022	M/s Sandeep Sharma Purana Matour Nandher	360	34.75	12510.00	Comparative &Supply Order, Stock Entry
15.NREGA	NIL/08.05.2024	Sand Crasher (cft)	613/12.09.2022	M/s Sandeep Sharma Purana Matour Nandher	300	45.75	13725.00	Comparative &Supply Order, Stock Entry
16.NREGA	NIL/14.05.2024	Shuttering(sqf) Material Carriage(Tractor) Sand(cft)	073/15.11.2023	M.K Choudhry Barwala Ghiana	70 6 150	15.00 650.00 47.50	1050.00 3900.00 7125.00	Quatations ,Stock Entry
17.RGSA	NIL/14.05.2024	Holo Pipe/Angel Iron Frame (sq2f)	765/11.10.2023	M/s Maa Jwala Traders Zamanabad	98.32	222.00	21825.93	Quatations ,Stock Entry
18.NREGA	NIL/14.05.2024	Cement Carriage	70/13.11.2023	M/s M.K Choudhry Barwala Ghiana	70	35	2450	Quatations
19.NREGA	NIL/14.05.2024	Cement Carriage	071/12.08.2023	M/s M.K Choudhry Barwala Ghiana	80	35	2800	Quatations
20.NREGA	NIL/14.05.2024	Shuttering(sqf) Material Carriage(Tractor) Sand(cft)	75/15.11.2023	M.K Choudhry Barwala Ghiana	70 12 200	15.00 650.00 47.50	1050.00 7800.00 9500.00	Quatations ,Stock Entry
21.RGSA	NIL/14.05.2024	Fabrication work with iron material, Normal Shed with Holo Pipe/Angel Colour shut roofing round shape cutting with ridge (sq2f)	766/11.10.2023	M/s Maa Jwala Traders Zamanabad			24530.00	Quatations ,Stock Entry
						G/Total	251383.43	

नोट:–1.कम संख्या 1 से 8 व 11 से 21 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

2.कम संख्या 1,3,4,7 से 12,14,15,16([illegible]),17,20([illegible]) व 21 की स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

प्रधान सचिव

ग्राम पचायत गगल

वि ख धर्मशाला कांगड़ा हि.प्र